

समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

मो० सोहैल, भा० प्र० से०, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 22-02-2016 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की गयी सोमवारीय (Monday Meeting) बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार।

(2) अनुपस्थित पदाधिकारी

समीक्षा के क्रम में निम्नांकित पदाधिकारी बैठक से अनुपस्थित पाये गये :-

क्र०	संबंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1.	जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा	परीक्षा संबंधी कार्य में प्रतिनियुक्त।
2.	जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा	बैठक में भाग लेने हेतु पटना गये।
3.	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
4.	मोटरयान निरीक्षक, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।

प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा जाए।

(अनुपालन-प्रभारी पदा०, जिला गोपनीय शाखा)

➤ सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(3) जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों के साथ अंतर विभागीय समन्वय बैठक हेतु निम्नांकित विभागों की समीक्षा विभागवार की गयी :-

क्र०	संबंधित विभाग /पदा० का नाम	इस सप्ताह में किए जाने वाले कार्य
1.		
2.	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा /आई०टी० मैनेजर, मधेपुरा	जिलाधिकारी द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी एवं प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी के साथ सोमवारीय बैठक की शुरुआत की, किन्तु कुछ प्रखण्ड से ही सम्पर्क हो पाया, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा खेद प्रकट किया गया तथा आई०टी० मैनेजर, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि जिस-जिस प्रखण्ड से सम्पर्क स्थापित नहीं हो रहा है, वहां के आई०टी० सहायक से स्पष्टीकरण पूछते हुए एक दिन का मानदेय कटौती हेतु पत्र अधोहस्ताक्षरी के स्तर से निर्गत करना सुनिश्चित करें। साथ ही अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, दूरभाष, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि जिस-जिस कार्यालय में ब्रॉड-बैंड स्थापित हैं, उन्हें चालू करावें, ताकि विडियो कॉन्फ्रेंस के आयोजन में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न नहीं हो सके।
3.	ऑपरेशन दखल देहानी (अपर समाहर्ता)	(क) ऑपरेशन दखल देहानी - जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्व में प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, मधेपुरा को निदेशित किया गया था कि ऑपरेशन दखल देहानी का शिविर आयोजित करने संबंधी कार्यक्रम तैयार कर अविलम्ब संविका के माध्यम से उपस्थापित किया जाए, किन्तु इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जो खेद का विषय है। अपर समाहर्ता से अनुरोध किया

<p>4. आपदा (प्रभाती पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा)</p>	<p>गया कि इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।</p> <p>कृषि अनुदान के वितरण के बारे में प्रभाती पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा से पृच्छा की गयी। उनके द्वारा बताया गया कि कृषि अनुदान वितरण हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। समीक्षा के क्रम में प्रभाती पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन को निर्देशित किया गया कि गुरुलीगंज अंचल में कृषि अनुदान वितरण की जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध करावें।</p> <p>समीक्षा बैठक में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने प्रखण्ड में कृषि अनुदान का वितरण ससमय सुनिश्चित करें।</p>
<p>5. पी0एच0ई0डी0 (कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मधेपुरा)</p>	<p>स्वच्छ भारत अभियान की समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि खुले में शौच से मुक्ति कार्यक्रम के तहत 39 पंचायतों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जबकि 88,000 शौचालय बनाने का लक्ष्य है। इन 39 पंचायतों में 03 पंचायत यथा- भान टेकठी, बभनगामा एवं बालम गढ़िया को मार्च, 2016 तक खुले शौच से मुक्ति दिला दी जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त सूची जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, मधेपुरा को उपलब्ध करावें, साथ ही एग्रीमेन्ट अचिलम्ब बनावें।</p>
<p>6. (ग्रामीण विकास अभिकरण) उप विकास आयुक्त</p>	<p>1 3वीं /14वीं /बी0आर0जी0एफ0 की लंबित योजनाओं की समीक्षा की गयी, तो पाया गया कि बहुत सारी योजनाएँ लंबित है। उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जैसे योजना, जिसमें राशि बची हुई है तथा उस योजना का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है एवं खाता खुला है, उसको बंद किया जाना है। नियमानुसार बंद करने की कार्रवाई की जा रही है। समीक्षा बैठक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर से पृच्छा की गयी, तो उनके द्वारा बताया गया कि 90 प्रतिशत बंद हो गया है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।</p>
<p>7. (डी0पी0ओ0, आई0सी0डी0एस0)</p>	<p>कन्या विवाह योजना :- जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि कन्या विवाह योजना का डाटा सभी प्रखण्डों से प्राप्त हो गया। इस संबंध में पृच्छा की गयी कि किन-किन प्रखण्डों से प्राप्त हुआ है, तो स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा सकी। निर्देशित किया गया कि डाटा जितने प्रखण्ड से प्राप्त हुआ, उसका सी0डी0 बनाकर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को भेज दें, ताकि संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>नियुक्ति :- जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नियुक्ति हेतु विज्ञापित समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु भेज दी गयी है। निर्देशित किया गया कि विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।</p> <p>टी0एच0आर0 :- बताया गया कि दिनांक 26-02-2016 को टी0एच0आर0 का वितरण हेतु तिथि निर्धारित है। निर्देशित किया गया कि उक्त तिथि को पदाधिकारियों से टी0एच0आर0 की जांच कराने हेतु अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।</p> <p>आंगनवाड़ी केन्द्रों की जांच :- समीक्षा के क्रम में निर्देशित किया गया कि प्रतिदिन आंगनवाड़ी केन्द्रों का औचक निरीक्षण करें एवं निरीक्षण प्रतिवेदन</p>

8.	कोशी पुनर्वास (उप विकास आयुक्त /डी0पी0एम0 कोशी पुनर्वास)	<p>अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करावें।</p> <p>समीक्षा के क्रम में जिला स्थापना उप समाहर्ता, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि श्री अरुण कुमार झा, वरीय उप समाहर्ता, मधेपुरा को अपने कार्यो के अतिरिक्त सामान्य शाखा के प्रभार हेतु रांचिका अविलम्ब उपस्थापित करें।</p> <p>जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी कि किस-किस प्रखण्ड से कोशी पुनर्वास की राशि विमुक्ति हेतु लंबित है? उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि मुरलीगंज, पुरैनी, ग्वालपाड़ा, शंकरपुर, उदाकिशुनगंज आदि प्रखण्डों से राशि विमुक्ति हेतु लंबित है। यह भी बताया गया कि शौचालय के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की राशि विमुक्ति हेतु भी लंबित है। संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निदेशित किया गया कि अविलम्ब राशि नियमानुसार विमुक्ति कराना सुनिश्चित करें।</p>
9.	पंचायत (जिला पंचायत राज पदाधिकारी)	<p>जिलाधिकारी द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि पंचायत चुनाव के निमित्त सम्पूर्ण तैयारी ससमय सुनिश्चित करें।</p> <p>समीक्षा के क्रम में बताया गया कि पुरैनी प्रखण्ड से आरक्षण संबंधी कार्य ससमय नहीं किया गया है। निदेशित किया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को इस हेतु निदेशित करें।</p>
10.	(जीविका) डी0पी0एम0, जीविका, मधेपुरा	<p>जिलाधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जीविका, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत सेल्फ ग्रुप से शौचालय निर्माण हेतु कार्य प्रारंभ करने का निदेश दिया गया एवं प्रतिवेदन सोमवारीय बैठक के पूर्व उपलब्ध करावें। साथ ही शौचालय निर्माण से संबंधित फॉर्म पी0एच0ई0डी0 कार्यालय, मधेपुरा से उपलब्ध कराने हेतु कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0 को निदेशित किया गया। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मार्च-अप्रैल, 2016 तक शत-प्रतिशत शौचालयों का निर्माण करा दिया जाना है। कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0 एवं डी0पी0एम0, जीविका को निदेशित किया गया कि अपने-अपने प्रखण्ड समन्वयक के साथ कल दिनांक 23-02-2016 को 12:00 बजे म0 में एक बैठक आहूत करने हेतु सभी संबंधितों को अपने स्तर से निदेशित करें। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निर्देश दें कि संबंधित आंगनवाड़ी केन्द्र की सेविका /सहायिका इस आशय का प्रमाण-पत्र देंगे कि उनके क्षेत्र में शौचालयों का निर्माण शत-प्रतिशत करा लिया गया है।</p>
11.	(कल्याण /अल्पसंख्यक कल्याण), जिला कल्याण पदा0/ अल्पसंख्यक कल्याण पदा0, मधेपुरा	<p>जिलाधिकारी द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा से पृच्छा की गयी कि जितने भी छात्रवृत्ति /प्रोत्साहन मद में वितरण हेतु राशि प्राप्त हुई थी, उन राशि का नियमानुसार शत-प्रतिशत भुगतान हुआ है अथवा नहीं। इस संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। निदेश दिया गया कि जिस मद में राशि की आवश्यकता नहीं हो, उसे अविलम्ब विभाग को प्रत्येक कराना सुनिश्चित करें।</p> <p>समीक्षा के क्रम में मुशहर छात्रवृत्ति एवं अन्य छात्रवृत्ति पिछले सप्ताह में कितना वितरण हुआ, से संबंधित प्रतिवेदन आगामी सोमवारीय बैठक से पूर्व उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।</p> <p>जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि छात्रावास की मरम्मत हेतु</p>

